UPFZ040135712024

Criminal Misc. Cases/943/2025

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–तृतीय, अयोध्या
पीठासीन अधिकारी: बलराम दास,
J.O.Code-UP2336
(उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

---

1. पूजा तिवारी आयु लगभग 32 वर्ष पत्नी धनन्जय तिवारी, निवासिनी ग्राम हिसामुद्दीनपुर पूरे निधान तिवारी, थाना इनायतनगर, जनपद अयोध्या वर्तमान पता ग्राम– निमड़ी थाना– इनायतनगर, जनपद अयोध्या।

.....परिवादिनी।

बनाम

1. धनंजय तिवारी आयु लगभग 33 वर्ष पुत्र श्री दीनदयाल,
2. सिंगारी देवी आयु लगभग 70 वर्ष पत्नी दीन दयाल,
3. देवी प्रसाद आयु लगभग 50 वर्ष पुत्र दीन दयाल,
4. सन्तोष आयु लगभग 40 वर्ष पुत्र दीन दयाल,
5. क्षमता तिवारी आयु लगभग 38 वर्ष पत्नी सन्तोष कुमार
6. ममता देवी आयु लगभग 37 वर्ष पुत्री दीन दयाल

समस्त निवासीगण– ग्राम हिसामुद्दीनपुर पूरे निधान तिवारी थाना– इनायतनगर, जनपद अयोध्या।

.....विपक्षीगण।

परिवाद संख्या–3871/2024
धारा– 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
थाना– इनायतनगर, जनपद अयोध्या।

एक पक्षीय निर्णय

****

1. परिवादिनी द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निम्न अनुतोष हेतु परिवाद संस्थित किया गया है–

i. विपक्षी को आदेशित किया जाये कि वह परिवादिनी को भरण–पोषण व बच्चों के शिक्षा–दीक्षा हेतु मु० 50,000/-रू० प्रतिमाह अदा करें।

ii. विपक्षीगण द्वारा परिवादिनी के प्रति घरेलू हिंसा कारित करने पर रोक लगाई जाये।

iii. विपक्षीगण को परिवादिनी के लिए पृथक आवास की व्यवस्था प्रदान करने हेतु

Digitally signed by BALRAM DAS
Date: 2025.07.24 12:36:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आदेशित किया जाये।

iv. अन्य दीगर उपशम जो न्यायालय उचित समझे परिवादिनी को विपक्षीगण से दिलाया जाये।

2. परिवादपत्र के अनुसार परिवादिनी का संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि परिवादिनी एवं विपक्षी संख्या 01 धनंजय तिवारी का विवाह हिन्दू रिति–रिवाज से दिनांक 16.11.2017 को परिवादिनी के पिता के निवास स्थान पर सम्पन्न हुआ था। परिवादिनी के पिता ने बरीक्षा/तिलक में पांच लाख रूपया नगद तथा दो लाख रूपये का सामान विपक्षीगण को दिया था तथा शादी में परिवादिनी के पिता द्वारा विपक्षी संख्या–1 को सोने की सीकड़, चार अंगूठी, दो घड़ी बेड, कुर्सी, आलमारी फिज श्रृंगारदानी, कूलर, वाशिंग मशीन, मिक्सर मशीन, बड़ा बाक्स, छोटा बाक्स, गैस सिलेन्डर व चूल्हा 20 टंकी, 55 बाल्टी व कपड़े व अन्य घरेलू उपयोग का कुल मिला कर दो लाख रूपये का सामान दिया था। परिवादिनी विदा होकर अपने ससुराल आयी तो विपक्षीगण शादी में मिले दहेज से खुश नहीं थे और बुलेट मोटर साइकिल की मांग करने लगे और कम दहेज लाने का ताना उलाहना देकर परिवादिनी को प्रताड़ित करने लगे। परिवादिनी जब अपनी ससुराल से विदा होकर अपने मायके आयी तो उपरोक्त सारी बाते अपने माता–पिता से बताया तो उसके माता–पिता ने कहा कि धीरे–धीरे सब ठीक हो जायेगा परेशान मत हो। परिवादिनी के पति सेना में वर्तमान समय में नायक पद पर कार्यरत है और परिवादिनी व विपक्षी सं0–1 के वैवाहिक सम्बन्ध से एक लड़का व एक लड़की पैदा हुए है जो परिवादिनी के पास है। लड़का अथर्व जिसकी उम्र इस समय लगभग 05 वर्ष व पुत्री अनिका आयु लगभग 03 माह है। परिवादिनी के पति सरकारी सर्विस में है और इसी का नाजायज अनुचित लाभ लेकर विपक्षीगण दहेज में बुलेट मोटर साइकिल की मांग को लेकर बराबर परिवादिनी को प्रताड़ित
करते है और मारते पीटते खाना कपड़ा नहीं देते जिससे परिवादिनी काफी परेशान है। विपक्षीगण ने दिनांक–03.05.2024 को परिवादिनी के सारे कपड़े व जेवरात छीन लिये और मारपीट कर घर से निकाल दिया परिवादिनी अपने मासूम बच्चों को लेकर अपने मायके आये और सारी घटना अपने माता–पिता व परिवार से बताया जिस पर परिवादिनी के पिता ने स्थानीय पुलिस व तहसील में शिकायत किया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। परिवादिनी के पिता की आर्थिक स्थिति इस समय काफी खराब चल रही है जिससे परिवादिनी व परिवादिनी के मासूम बच्चों की शिक्षा–दीक्षा भरण–पोषण लम्बे समय तक करने में असमर्थ है। परिवादिनी को विपक्षीगण द्वारा अपने घर से निकाल दिये जाने के बाद परिवादिनी अपने पिता के यहां मायके में रह रही है। परिवादिनी के पति विपक्षी संख्या–1 सेना में नायक नर्सिंग असिस्टेन्ट के पद पर 228 एफ डी फील्ड रेजीमेन्ट फिरोजपुर कैन्ट (पंजाब) में कार्यरत है जिनका प्रतिमाह वेतन एक लाख रूपये से अधिक है इसलिए परिवादिनी को विपक्षी संख्या–1 से उसके वेतन का 1/2 भाग भरण–पोषण हेतु दिलाया जाना आवश्यक है जिससे परिवादिनी अपना व अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा भरण पोषण सही ढंग से कर सके। विपक्षी संख्या–1 एक नौकरी पेशा व साधन सम्पन्न व्यक्ति है जिसके पिता के पास पर्याप्त मात्रा में कृषि भूमि भी है। विपक्षी संख्या–1 ने जनपद लखनऊ में मकान हेतु जमीन खरीदा है। विपक्षी सं०–1 महीने में लगभग 1,00,000/– रूपये प्रतिमाह वेतन पाता है लेकिन इसके बावजूद परिवादिनी को भरण–पोषण हेतु कोई धनराशि न देकर जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है।

परिवादिनी घरेलू व पर्दानशीन महिला है जिसके अपने जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं है जिससे परिवादिनी अपना भरण–पोषण कर सके।

3. पर्याप्त तामीला के बावजूद विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए और न ही कोई जवाबदावा दाखिल किया गया। अतः उनके विरूद्ध तामीला पर्याप्त माना जा चुका है तथा विपक्षीगण की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 07.04.2025 द्वारा वाद कार्यवाही उनके

विरूद्ध एक पक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी।

4. परिवादिनी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र बतौर साक्षी पी०डब्ल्यू० 1 तथा पी०डब्ल्यू० 2 देव नरायन मिश्र का साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया गया प्रस्तुत किया गया तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में आधारकार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया।

5. पत्रावली पर जिला प्रोबेशन अधिकारी की आख्या संलग्न है जिसका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया।

उल्लेखनीय है कि परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा –12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम विपक्षीगण से संरक्षण आदेश प्राप्त किये जाने हेतु न्यायालय में संस्थित किया गया है।

6. परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता की सविस्तार बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

7. परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विपक्षी संख्या-1 धनंजय तिवारी परिवादिनी का पति है। परिवादिनी का कथन है कि परिवादिनी विदा होकर अपने ससुराल आयी तो विपक्षीगण शादी में मिले दहेज से खुश नहीं थे और बुलेट मोटर साइकिल की मांग करने लगे और कम दहेज लाने का ताना उलाहना देकर परिवादिनी को प्रताड़ित करने लगे तथा प्रार्थिनी का पति सरकारी सर्विस में है और इसी का नाजायज अनुचित लाभ लेकर विपक्षीगण दहेज में बुलेट मोटर साइकिल की मांग को लेकर बराबर परिवादिनी को प्रताड़ित करते है और मारते पीटते खाना कपड़ा नहीं देते जिससे परिवादिनी काफी परेशान है। विपक्षीगण ने दिनांक–03.05.2024 को परिवादिनी के सारे कपड़े व जेवरात छीन लिये और मारपीट कर घर से निकाल दिया विपक्षीगण शादी के बाद से ही परिवादिनी से अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। परिवादिनी के असमर्थता जताने पर विपक्षीगण दहेज की मांग न पूरा होने पर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते थे। विपक्षीगण के कारण परिवादिनी को शारीरिक व मानसिक कष्ट हुआ और दिन प्रतिदिन हो रहा है। परिवादिनी के साथ विपक्षीगण ने आपराधिक व घरेलू हिंसा का कृत्य किया है। परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से उपरोक्त कथन साबित होते है। अतः परिवादिनी याचित उपशम पाने की अधिकारिणी है।

8. पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा परिवादपत्र में स्वयं को विपक्षी संख्या-1 धनंजय तिवारी की ब्याहता पत्नी होना अभिकथित किया गया है। परिवादपत्र में यह भी अभिकथित किया गया है कि परिवादिनी के विपक्षीगण के साथ उसकी ससुराल में संयुक्त साझेदारी निवास के दौरान विपक्षीगण द्वारा उसके साथ घरेलू हिंसा कारित की गयी है। परिवादिनी द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र में उक्त तथ्यों को पुष्ट किया गया है। साक्षी पी०डब्लू०–1 पूजा तिवारी व पी०डब्ल्यू० 2 देव नरायन मिश्र द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र में परिवादपत्र के कथनों का समर्थन किया गया है। चूंकि विपक्षीगण द्वारा उपरोक्त साक्षीगण से जिरह नही की गयी है इस कारण से उपरोक्त साक्षीगण के बयान विश्वसनीय, अखण्डित एवं साक्ष्य में ग्राह्य है।

अतः दाम्पत्य अधिकारों के निर्वाहन में पति का यह नैतिक व विधिक दायित्व है कि वह अपनी ब्याहता पत्नी का भरण–पोषण व उनके आवास की व्यवस्था करे। प्रस्तुत प्रकरण में परिवादिनी विपक्षी सं० 1 धनंजय तिवारी की आश्रिता है। इस प्रकार विपक्षी सं० 1 का यह कर्तव्य है कि वह परिवादिनी के भरण–पोषण व आवास हेतु उचित प्रबंध करे, उसके विरूद्ध घरेलू हिंसा कारित न करे। अन्य परिवारीजन का भी यह कर्त्तव्य है कि वह परिवादिनी को दहेज के लिए

प्रताड़ित न करें, उसके साथ घरेलू हिंसा कारित न करें। ऐसे में सामान्य प्रज्ञा के अनुसार परिवादिनी को उचित अनुतोष दिलाया जाना न्यायोचित होगा। अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर परिवादिनी की याचिका अन्तर्गत धारा–12 घरेलू हिसा महिला संरक्षण अधिनियम एक पक्षीय रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आ दे श

परिवादिनी का प्रार्थनापत्र अन्र्तगत धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एकपक्षीय रूप से विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न रुप से स्वीकार किया जाता है –

क– विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वे भविष्य में परिवादिनी के साथ शारीरिक व मानसिक रुप से कोई हिंसा कारित नहीं करेगें।

ख– विपक्षी संख्या–1 धनंजय तिवारी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी के भरण पोषण हेतु मु० 8,000/-(आठ हजार रुपये) प्रति माह मासिक भुगतान करेगा तथा दोनों बच्चों अथर्व व अनिका उनके शिक्षा व भरण–पोषण हेतु प्रत्येक को 2000 रू० प्रतिमाह अदा करे, जो कि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में देय होगा।

ग– विपक्षी सं० 1 धनंजय तिवारी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को आदेश के दिनांक से दो माह के भीतर मु० 100000/- (एक लाख रूपये) एक मुश्त धनराशि प्रदान करेगा।

घ– विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वे परिवादिनी को संयुक्त साझेदारी के सम्बन्ध में किये जा रहे निवास के समरुप आवास उपलब्ध करायेगा।

आदेश की प्रति जिला प्रोबेशन अधिकारी व सम्बंधित थानाध्यक्ष को निर्णय के अनुपालन हेतु अविलम्ब प्रेषित हो। परिवादिनी को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांकः 16.07.2025

(बलराम दास)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट–तृतीय,
अयोध्या।
J.O.Code-UP2336

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः 16.07.2025

(बलराम दास)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट–तृतीय,
अयोध्या।
J.O.Code-UP2336